फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

विकम बंशीवाल बनाम राज0 सरकार

मु0नं0– 39/2024

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2024	प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट प्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र बैंसला द्वारा पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि भूमि खाता संख्या नया 367 पुराना 360 के आराजी खसरा नम्बर 158, तथा खाता संख्या 251 के खसरा नम्बर 156, 157 एवं खाता संख्या नया 364 पुराना 357 के खसरा नम्बर 159 तथा खाता संख्या 364 के खसरा नम्बर 161 वाके रामा रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज एवं राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थीगण काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। यह है कि पडोसी खातेदार प्रार्थीगण की भूमि को दबाना चाहते है एवं सीमा विवाद करते रहते है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे। उक्त भूमि का सीमाज्ञान उप तहसीलदार सिकन्दरा के आदेश से दिनांक 28.06.2023 को किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया ।। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसका सीमाज्ञान उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 156, 157, 159, 158, 161 वाके ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा की पत्थरगढी कायम करें। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पत्थरगढी कायम करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	